

सं० डी. 11011/27/2021-हिन्दी/189

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल, सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

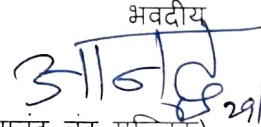
दिनांक: 29/04/2025

परिपत्र

विषय: राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का अनुपालन। (मद सं.5)

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 159वीं बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियम 5 एवं धारा 3(3) का सम्यक अनुपालन किया गया है। उल्लेख है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषायी निरीक्षण के दौरान इन बिंदुओं के अनुपालन की जहाँ सराहना की जाती है, वहीं इनके संबंध में हुई चूक तथा कमियों को काफी गंभीरता से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि इसी प्रकार आगे भी सभी कार्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

अतः अनुरोध है कि राजभाषा नीति व नियमों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है।

भवदीय

(आनंद चंद्र मल्लिक) 29/04/2025

निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी

दूरभाष-011-29583459 / ईमेल-acmallick@nic.in

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

केन्द्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय (वेबसाइट के माध्यम से)।